<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण</u>

पत्रांक–कमिश्नर कैम्प/(17–18)/ 117 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(कमिश्नर कैम्प)
लखनऊ दिनांकः: 21 जुलाई 2017

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,,उ0प्र0,
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,,उ0प्र0,
समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

आज दिनांक 21–07–2017 को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में निम्न 04 बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 24–07–2017 को सायं 5–00 बजे तक अवगत कराने का कष्ट करें तथा आवश्यकतानुसार शनिवार एवं रविवार को कार्यालय खुलवाकर सूचना तैयार करायें।

1– विभाग के किसी भी कर्मचारी /अधिकारी के विरुध्द अभियोजन की स्वीकृति किसी भी स्तर पर लम्बित चल रही हो अथवा सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध न हो पा रही हो तो उसे ढूंढवाकर जिस स्तर से अभियोजन की स्वीकृति अपेक्षित हो, उस स्तर से तत्काल स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। इसकी सूचना भेजें।

2– विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में नियत मैनुअल के अनुरुप जॉच व कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सम्पन्न हो जानी चाहिए। इन्हे सूची बध्द करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिन जांच अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में जांच पूर्ण न हुई हो उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करते हुए जॉच रिपोर्ट प्रेषित की जाये। यदि जॉच में विलम्ब हुआ है तो विलम्ब का कारण देते हुए दिनांक 24–07–2017 तक सूचित किया जाये। जिन प्रकरणों में जॉच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा उनमें निर्णय न लिया गया हो उस पर तत्काल निर्णय लेकर दिनांक 24–07–2017 की सायं तक अवगत कराया जाये। अवशेष मामलों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए एक समयसारिणी बना ली जाये।

3– 50 वर्ष से अधिक आयु के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में सभी कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड, आम छवि,कार्यदक्षता, विभागीय कार्यों में रुचि न लेना, कर्मचारी आचरण संहिता का पालन न करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सूचना दिनांक 24–07–2017 तक प्रेषित की जाये। शासनादेश, सरकुलर्स का समयबध्द अनुपालन न करने वाले, मा0 न्यायालयों का आदेश का समय पर अनुपालन न करने वाले, कार्यालय में आचरण संहिता का समुचित पालन न करने वाले, आदतन उच्छृखलता, अनुशासन हीनता करने वाले, आडिट, किराये के प्रकरण, आई0जी0आर0एस0, शासन के संदर्भों का समयबध्द निस्तारण न करने वाले, पेंशन, विभागीय कार्यों को समय पर पूर्ण न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचीबध्द किया जाये तथा बृहद दण्ड/भ्रष्टाचार की शिकायत से आरोपित कर्मियों को भी सूचीबध्द किया जाये एवं इनकी स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही करायी जाये।

4– उपरोक्तानुसार ही वर्ग –2 एवं वर्ग–1 के अधिकारियों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित कार्यवाही की संस्तुति एवं आख्या शासन को भेजी जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसका उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है।

21/07/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।